तामील में जारी हुए

2015/00185

9/1/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 13/4/18 को पेश हो।

13/4/18 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 4/7/18 को पेश हो। प्रकरण पत्रावली को लोक अदालत हेतु चयन किया गया है पत्रावली वास्ते लोक अदालत कैम्प मूण्डला दि. 5.6.18 को पेश हो।

5.6.18

पत्रावली लोकअदालत केम्प मूण्डला में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी नं0 1 स्वयं मजमें आम में उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर कथन किये है कि ग्राम ढगारियां तहसील दीगोद में खाता नं0 82 पर कुल किता 10 रकबा 14.34 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी नं0 3 व वादी की माता गेंदी बाई के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 गेंदी बाई की पुत्रियां व वादी की बहिन है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 के वारिसान ने मिलकर अपनी नानी गेंदीबाई का फोती इंतकाल नं0 360 दि0 21.07.2014 को खुलवा लिया। जबकि प्रतिवादी नं0 1 व 2 का उपरोक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त नामा0 कानूनन गलत है जिससे प्रतिवादी नं0 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने ससुराल में निवास करती है तथा मीणा जाति से है, जिनमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। जिससे पुरूष वारिस होते हुए महिलाओं को अधिकार प्राप्त

LTI कांताबाई

महेन्द्रपाल

का वादी को खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम डिलीट किया जावें। इसके विपरित प्रतिवादी नं0 1 ने उपरोक्त कथनों का खण्डन किया। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 विवादित आराजी में पूर्व से ही सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। गेंदीबाई की मृत्यु के उपरान्त गेंदीबाई के वारिसान का नाम उसके हिस्से की आराजी पर विरासती इंतकाल से दर्ज किया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना संभाव्य नहीं है। चूंकि विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 सहखातेदार की हैसियत रखते है तथा इसी अनुसार अपना हिस्सा प्राप्त करनें के अधिकारी है।

मजमें आम में उभयपक्ष की समझाईश उपरान्त इस बाबत् सहमति कायम की गई कि, विवादित आराजी में से ख0नं0 265 रकबा 1.52 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 कमला को दे दी जावें तथा कमला के नाम से अलग खाता कायम कर दर्ज कर दिया जावें। उभयपक्ष द्वारा सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः उभयपक्ष की सहमंति अनुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी में से ख0नं0 265 रकबा 1.52 हे0 भूमि का प्रतिवादी नं0 1 कमला को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता कायम कर अमल दरामद करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।